SHRI GURU RAM RAI UNIVERSITY

(Estd. By of Uttarakhand, vide Shri Guru Ram Rai Act No. 03 of 2017)

Patel Nagar Dehradun-248001, Uttarakhand.

Examination Rules & Regulation

(As per provision of the SGRR University Act, Chapter no.-05 under Section 30)

क्रम संख्या.26 (ख) पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

उत्तराखण्ड सरकार

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाषित

असाधारण

विधायी परिषिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून

उत्तराखण्ड षासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 109

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित'' **श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय विधेयक 2016''** पर दिनांक 05 अप्रैल, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2017 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाषित किया जाता है।

श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2017)

आयुर्विज्ञान, दन्त विज्ञान, सम्बद्ध स्वास्थ्य विज्ञान, फार्मेसी, नर्सिंग, प्रबन्धन पाठ्यक्रम, विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, ग्राम्य विकास, मानविकी, विधि, योग विज्ञान और उच्च षिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में षिक्षा, प्रषिक्षण एवं षोध–कार्य से संबन्धित षिक्षा प्रदान करने के उद्देष्य से श्री गुरू राम राय मिषन षिक्षा सोसाईटी, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा प्रायोजित श्री गुरू राम राय विष्वविद्यालय की स्थापना एवं उसके निगमन के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के 67 वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ 1

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम श्री गुरू राम राय विष्वविद्यालय अधिनियम 2016 है।
2. यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा हो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं 2

जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

1. 'प्राधिकारी' से विष्वविद्यालय का प्राधिकारी अभिप्रेत है
2. 'विद्या परिषद्' से विष्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है
3. 'निकाय' से विष्वविद्यालय की निकाय अभिप्रेत है
4. 'व्यवस्थापक मंडल' से विष्वविद्यालय का व्यवस्थापक मंडल अभिप्रेत है
5. 'प्रबन्ध मंडल' से विष्वविद्यालय का प्रबन्ध मंडल अभिप्रेत है
6. 'पाठ्यक्रम मंडल' से विष्वविद्यालय का पाठ्यक्रम मंडल अभिप्रेत है
7. 'परीक्षा मंडल' से विष्वविद्यालय का परीक्षा मंडल अभिप्रेत है
8. 'परिसर' से विष्वविद्यालय का परिसर अभिप्रेत है
9. 'कुलाधिपति', 'कुलपति', प्रति कुलपति', 'कुलसचिव', 'परीक्षा नियंत्रक एवं वित्त अधिकारी से क्रमानुसार विष्वविद्यालय के कुलाधिपति', 'कुलपति', प्रति कुलपति', 'कुलसचिव', 'परीक्षा नियंत्रक एवं वित्त अधिकारी अभिप्रेत हैं
10. 'संघटक महाविद्यालय' से विष्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित एवं प्रबंधित कोई महाविद्यालय तथा संस्था अभिप्रेत है
11. उपधियों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विषिष्टताओं को प्रदान करना

12. अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की षर्तें,
13. परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाली निकायों, परीक्षकों, अंतरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों (माडरेटर) की नियुक्ति की षर्तें व रीति तथा उनके कर्तव्य
14. विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिया जाने वाला षुल्क
15. विष्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य षैक्षिक विषिष्टताओं के लिए लिया जाने वाला षुल्क
16. विष्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्र के निवास की षर्तें
17. विष्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों में अनुषासन बनाये रखने हेतु
18. अन्य सभी विषयों, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या

नियम कैसे बनाये जायेंगे

31.

1. व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नियम बनाए जायेंगे, और इस प्रकार बनाए गये नियम राज्य सरकार को अनुमोदान के लिए प्रस्तुत किए जायेंगे जो कि नियमों की प्राप्ति के दिनांक से दो माह के अन्दर, उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी।
2. जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिष्चय करने में असमर्थ हो तो, वहाँ यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार ने नियमों को अनुमोदिन कर दिया है।

नियमों को संशोधित करने की शक्ति

32.

व्यवस्थापक मण्डल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नए या अतिरिक्त नियम बना सकेगा या नियमों का संषोधन या निरसन कर सकेगा।

अध्याय–छः

प्रकीर्ण

उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए उपबन्ध

33.

1. विष्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेष हेतु 30% सीटें उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित की जायेंगी, यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती है तो रिक्त सीटें अन्य छात्रों द्वारा भरी जा सकती है।
2. विष्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रम में तय षुल्क में उप धारा (1) में उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों को 26% की छूट प्रदान की जायेगी
3. समूह 'ग' व 'ब' श्रेणी के समस्त पद उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार भरे जायेंगे।
4. उपरोक्त उपधारा (1) में वर्णित आरक्षित सीटों पर विष्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की समय–समय पर संषोधित / लागू आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें	34.	1. प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अंतर्गत की जायेगी प्रति विष्वविद्यालय द्वारा रखी जाएगी तथा एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जाएगी। 2. कर्मचारियों के विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही विष्वविद्यालय के परिनियमों के विहित प्रक्रिया के अनुसार षासित होंगी। 3. विष्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाले विवाद का समाधान इस सम्बन्ध में बनाए गए परिनियमों की प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाएगा। 4. इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी विष्वविद्यालय के कर्मचारियों को लोक सेवक नहीं समझा जाएगा और यह हमेषा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, या अन्यथा विष्वविद्यालय के निजी रोजगार के अधीन रहेगा।
अपील का अधिकार	35.	विष्वविद्यालय या संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र आदि के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विष्वविद्यालय के प्राचार्य/डीन, किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विनिष्चिय के विरूद्व प्रबन्ध मण्डल को ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाए, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिष्चय को जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, पुष्टि, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।
भविष्य निधि एवं पेंशन	36.	विष्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और षर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाये, ऐसी भविष्य या पेंषन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था करेगा, जो वह उचित समझे।
विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों का गठन सम्बन्धी विवाद	37.	यदि यह प्रष्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विष्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत नामित या नियुक्त किया गया, या उसका सदस्य होने का हकदार हैं तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उनका विनिष्चय अन्तिम होगा।
समितियों का गठन	38.	धारा 20 में उल्लिखित विष्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को ऐसे प्राधिकारी की समिति गठित करने की षक्ति होगी, जिसमें ऐसे सदस्य होंगे और जिनकी ऐसी षक्तियाँ होंगी, जो ऐसा प्राधिकारी उचित समझें
आकस्मिक रिक्तयों की पूर्ति	39.	विष्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जाएगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवषिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है/

भरती है, सदस्य बना रहता।

सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के प्रति संरक्षण

40. विष्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जो अधिनियमों या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक की गयी है, या की जाने के लिए आषयित है, संस्थित नहीं होगी।

संक्रामणकालीन प्रावधान

41. इस अधिनियम व परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भीः–

(क) प्रथम कुलपति एवं प्रथम प्रति–कुलपति (यदि कोई है), की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी

Laying down the course of study for all degrees and other academic distinctions of the university (section 30(b)	4	(1) The programme structure, syllabi, study and evaluation scheme shall be made in according with guidelines of the regulatory authority by the Board of Studies constituted of (2) The recommendation of the Board of studies shall be discussed by the faculty concerned. The faculty concerned shall send its recommendation to the Academic Council of the University. (3) The course of studies and evaluation scheme for all programmes and other academic distinctions of the University shall be as approved by the Academic Council (4) Before commencing a course not included in the list of recognized courses issued by the regulatory body the prior approved of the regulatory body shall be obtained.
The conditions for the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes (section 30(d))	5	The condition and eligibility for award of Fellowship, Scholarship, Medals and Prizes instituted by the board of Management shall be as per the Ordinance made in this regard.
The conduct of examinations and the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners, invigilators, tabulators and moderators. (Section (30(e))	6	**(1) Conduct of Examinations** **(a)** The university examinations shall be held at the designated examination centers of the University . **(b)** The essential facilities for each examination committee shall be as specified by the examination committee and academic council of the university. **(c)** The conduction of university examinations for all the courses shall be in accordance with the guidelines framed from time to time by the respective Statutory Councils and Ordinances/related provisions made in the regard. **(d)** The scheme of University Examinations shall be as per Ordinance made in this regard. **(e)** The University shall prepare and publish a schedule of examinations for each course conducted by it at least 30 days before the scheduled date of examinations. **(f)** The Vice Chancellor shall appoint a Centre Superintendent and a Deputy Superintendent who will be responsible for conduct of University examination. **(g)** The Examination Committee and the Centre Superintendent shall be responsible for the smooth conduct of the University examinations at his Centre. All expenses incurred in connection with the conduct of the examination at a Centre shall be borne by the University as per rules. **(h)** The Centre Superintendent shall be responsible for preparation, and implementation of Seating Plan and assign Invigilation Duties to the Invigilators during conduct of Examination. **(i)** The Centre Superintendent shall submit the details of the expenses incurred in a prescribed format as soon as the examinations are over at that Centre and in no case beyond one month from the date of

last paper at that Centre.

(j) The Centre Superintendent shall ensure that no person other than the examinees, invigilators, flying squad and other persons as may be authorized by him or by the University, shall be allowed to enter the Examination Hall.

(k) Examinees at all examinations shall strictly abide by the instructions that may be issued to them from time to time.

(l) The Examination Cell shall supply sufficient number of copies of question papers (in sealed packets) and answer booklets required at each Centre to the Centre Superintendent in reasonable time.

(m) The Centre Superintendent shall return the unused question papers & answer booklets to Examination Cell with the time as prescribed by the Examination Cell.

(n) The Principal of Constituent College and Head of the Department where the practical examinations are to be held, shall make all necessary arrangements for smooth conduct of the practical examinations.

(o) Examinee shall report to the examination hall at least 15 (fifteen) minutes prior to the commencement of the examination and shall not be allowed to enter the examination hall 30 minutes after commencement of examination. The examinee shall not be allowed to leave the examination hall before half time of the duration of the examination.

(p) **Flying Squad:**

(i) To ensure conduct of University Examinations as per norms. a flying Squad of not less than 03 (three) members of whom 01 (one) shall be lady member. Shall be constituted.

(ii) The Flying Squad shall be authorized to visit any Examination Hall and enter in the office of the Centre Superintendent without prior intimation to check the record and other material relating to conduct of University examination. For ascertaining the authenticity of the examinee by checking the identity, the Flying Squad may enter the Examination Hall. The Flying Squad shall be authorized to detect use of malpractices and unfair means in the University Examination, by physical check if necessary. In case of female candidates, the physical check shall be made by the lady member of squad.

(iii) The Centre Superintendent shall extend all Co-operation to the Flying Squad .

(q) The Centre Superintendent shall submit the answer booklets to the Examination Cell of the University immediately after the examination every day.

(r) After receiving the answer booklets on or before the last day of Examination schedule, the Examination Cell shall carry centralized evaluation.

(s) The results of the examination shall be tabulated and prepared in Award Sheet by the tabulator/evaluator.

(t) The result prepared by the evaluator/tabulator shall be compared, verified and approved by Examination Committee. The Approved Award Sheet along with the soft copy of the same should be submitted to Exam Cell For result processing.

(u) The results of the examinations shall ordinarily be declared within 30 days from the last day of the examination and the university shall forward the results to the constituent college or department of the University for onward intimation to the students.

(2) Conditions and mode of appointment, duties of examining bodies, examiners, invigilators and moderators.

(a) The qualification and experience for paper setter, moderator, evaluator and examiner shall be as per the guidelines of he Statutory Council or as per the Ordinance made in this regard.

(b) The paper Setter, Moderator, internal and External Examiners shall be appointed from a panel of examiners. In case of unavailability of Paper Setter and examiner so appointed, another paper setter and examiner shall be appointed from the panel.

(c) The Examination Cell of the University shall maintains panel of Paper Setter, Internal and External for each Course.

(d) Any employee of University appointed as Paper Setter Moderator and Examiner or for any other work related to examination shall not claim it as a matter of right.

(e) In normal circumstances appointment of an employee as a Paper Setter, moderator, examiner, invigilator and other works related to examination shall be binding on him/her. He/She shall also ensure that the unavailability for assignment is communicated to the Examination Cell well in advance to enable the Examination Cell to make alternative arrangements.

(f) The Paper Setter, Moderator and Examiner shall follow all the instructions given by the university from time to time in respect of pattern of question papers, setting up of question papers, model answers, scheme of marking etc.

(g) With appropriate instructions, guidelines relating to the examination the examination cell shall send intimation regarding appointment of Paper setter, Moderator and Examiner.

(h) The question paper shall be set in English.

(i) Each paper setter shall set and submit to the Examination Cell within the prescribed period, the required number of copies/sets of question papers that he sets, in a sealed cover, enclosed in another sealed cover. He shall also furnish a certificate to the effect that he has destroyed all the notes and

manuscripts I connection with the question paper(S) he has set. Copyright of any question paper set by an examiner shall vest with the University.

(j) Paper-setters, who do not set and submit the question paper to the Examination Cell, within the prescribed time limit shall cease to be Paper Setter.

(k) The Examiners appointed by the University shall be eligible for reappointment.

(l) The examiners shall be required to maintain confidentiality regarding their appointment as examiner and shall also maintain confidentiality regarding marks/grades awarded by them and any other work related to conduct of University Examination.

(m) All examiners and paper setters shall furnish certificate to the fact that no relations of his is appearing in the examination. Relations include husband wife blood relation or in laws.

(n) A record of misconduct, if any, committed by the paper setter, Moderator, Examiner, Tabulator/Evaluator and any other person with University examination shall be maintained by the Examination Cell.

(o) All complaints and incidents regarding the use of unfair means shall be dealt as per related provisions made in this regard.

Fee chargeable from students for various courses (Section 30(f)) 7

(1) Every student registered for a course shall be charged with a fee as fixed by the Admission and fee Regulatory Committee.

(2) The tuition fee recommended by the Admission and Fee Regulatory committee shall be the maximum chargeable tuition fee for that course and shall be valid for a period of 03 (three) academic sessions.

(3) Tuition fees from registered students shall be charged annually/half yearly n or before a date prescribed by the constituent college/department of the University.

(4) The fee fixed by the fee and Admission Regulatory Committee for Enrolment, Examinations, Hostel and Degrees Chargeable From registered students shall be charged additionally.

(5) The fee for other academic distinctions shall be as determined by the board of management.

(6) Any matter related to refund of fees shall be referred to the Board of Management who shall decide the matter as per the National and State policy & the guidelines of the regulatory authority.

The fee to be charged for admission to the examinations, degrees and other academic distinctions of the University (Section 30(g)) 8

The fee to be charged for various University examinations degree shall be determined after taking prior approval of Admission and Fee Regulatory Committee.

The conditions of residence of the students at the University or a constituent College: (Section 30(h))

9

(1) The university or its constituent college may provide hostel/residential accommodations to the students admitted in it.

(2) Each constituent College/Institute affiliated by the University shall make arrangements for supervision maintenance and inspection of facilities provided in the hostel/residential accommodation.

(3) Each Constituent College/Institute of the University shall make arrangements for supervision of the students in order to maintain the discipline of the hostel/residential accommodation.

(4) The resident students shall conform to the rules and terms & conditions made for residing in the hostel.

(5) Every principal of the Constituent College shall maintain records of the Following namely:-

(i) Number of hostels and the number of the Wardens:

(ii) Number of resident students in each hostel and approved lodging.

(iii) Number of non-resident students living with their parents;

(iv) Number non-resident students living with their guardian; and

(v) Number of non-resident students living independently.

The college/institute shall provide this information whenever asked for by the university.

(6) Resident students in the hostel shall take their food in the mess provided in the hostel.

(7) Every Constituent College shall ensure periodic health checkups of each student residing in a hostel managed by the college or in an approved residential accommodation and ensue that no such any contagious disease. The health checkups should be arranged either in the hospital attached to the medical college of the University or at any other hospital, approved by the University.

श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय
के
प्रथम नियम
2017

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण
1	संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ
2	परिभाषायें
3	विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना; (धारा 30 (क))
4	विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किए जाने वाले पाठ्यक्रम; (धारा 30 (ख))
5	अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें; (धारा 30 (घ))
6	परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाली निकायों, परीक्षकों, अंतरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों (माडरेटर) की नियुक्ति की शर्तें व रीति तथा उनके कर्तव्य; (धारा 30 (ङ))
7	विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क; (धारा 30 (च))
8	विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क; (धारा 30 (छ))
9	विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें; (धारा 30 (ज))

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 खण्ड (3) के प्रावधान में प्रदत्त अधिकार के तहत, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य सामान्य जानकारी हेतु सहर्ष निम्नलिखित अधिसूचना संख्याः.......................................दिनांकः.................. का हिन्दी अनुवाद का आदेश देते हैं।

श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय

श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 की धारा 30 व 31 में प्रदत्त शक्तियों द्वारा, माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड सहर्ष निम्नलिखित प्रथम नियमावली का अनुमोदन करते हैं।

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ

1 (1) यह नियमावली श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय की प्रथम नियमावली, 2017 होगी।

(2) प्रथम नियमों के लागू होने के बाद, सभी संशोधन, परिवर्धन एवं वर्तमान नियमों को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल के पास होगा एवं ऐसे सभी संशोधनों को उत्तराखण्ड शासन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

परिभाषायें।

2 (1) इन नियमों/नियमावली, सिवाय विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल --

(क) 'अधिनियम' से श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय के प्रथम अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है।

(ख) 'अनुच्छेद' से श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 का अनुच्छेद अभिप्रेत है।

(ग) 'परिनियमावली' से श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत बनायी गई परिनियमावली अभिप्रेत है।

(घ) 'पंजीकरण संख्या' से सम्बद्ध कॉलेज द्वारा पाठ्यक्रम में विद्यार्थीयों को दी गयी संख्या अभिप्रेत है।

(ङ) 'नामांकन' से छात्र-छात्राओं का विश्वविद्यालय में नामांकन अभिप्रेत है।

(च) 'नामांकन' संख्या' से पहचान हेतु विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थीयों के क्रमांक संख्या अभिप्रेत है।

(छ) 'परीक्षा केन्द्र' से कॉलेज अथवा विभाग जहाँ पर विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालित होगी अभिप्रेत है।

(ज) 'केन्द्र प्रभारी' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी देख-रेख में परीक्षा केन्द्र के माध्यम से परीक्षाओं का संचालन होगा।

(झ) 'परीक्षार्थी' से अर्ह विद्यार्थी अभिप्रेत है।

(ञ) 'परीक्षा हॉल' से परीक्षा कक्ष/हॉल जहाँ पर विश्वविद्यालय की परीक्षायें संचालित हो रही हों अभिप्रेत है।

(ट) 'परीक्षा कक्ष' से विश्वविद्यालय द्वारा गठित विभाग जहाँ पर परीक्षा संचालन से सम्बन्धित मुद्दों का निपटारा किया जाना अभिप्रेत है।

(2) जो शब्द एकवचन इंगित करते हों, बहुवचन पर भी लागू होगें या इसके विपरीत होगें।

(3) जो शब्द किसी एक लिंग को दर्शाता हो, दोनों लिंगों पर लागू होगा।

(4) नियमावली मे प्रयुक्त शब्द व अभिव्यक्ति जोकि परिभाषित नहीं हो, वह विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियमावली के अनुसार ही परिभाषित होगा।

विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना; (धारा 30 (क))

3 (1) विद्यार्थियों को प्रवेश विश्वविद्यालय के अधिनियमों एवं परिनियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत ही दिया जायेगा।

(2) प्रत्येक विद्यार्थी को पाठ्यक्रमवार पंजीकरण संख्या दी जायेगी। विद्यार्थी के पाठ्यक्रम परिवर्तन करने की दशा मे पंजीकरण संख्या स्वतः ही परिवर्तित हो जायेगी। यह पंजीकरण संख्या विद्यार्थी की अनुक्रमांक संख्या होगी। इस संख्या हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(3) पंजीकृत विद्यार्थी उत्तीर्ण होने या पाठ्यक्रम छोड़ने तक विश्वविद्यालय में पंजीकृत रहेगें या जैसा कि इस सम्बन्ध में दिये गये अध्यादेश द्वारा निर्दिष्ट है।

(4) प्रत्येक प्रवेशित विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्धारित शुल्क अदा करने पर नामांकन संख्या दी जायेगी।

(5) नये विद्याथियों को पूर्व विश्वविद्यालय का प्रवास प्रमाण पत्र (migration certificate) प्रस्तुत करना होगा।

(6) पूर्व में पंजीकृत विद्यार्थी जो कि अन्य किसी विश्वविद्यालय में प्रवास (migrate) न हुआ हो को पुनः नामांकन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

(7) विश्वविद्यालय में दाखिल/नामांकित छात्र प्रवास प्रमाण पत्र मिलने तक विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बना रहेगा।

विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किए जाने वाले पाठ्यक्रम; (धारा 30 (ख))

4 (1) पाठ्यक्रम संरचना, अध्ययन विषय, मूल्यांकन पद्धति आदि हेतु गठित पाठ्यक्रम समिति द्वारा तैयार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित संकाय द्वारा पाठ्यक्रम समिति की अनुशंसा पर विचार-विमर्श के उपरान्त अपनी संस्तुति के साथ सम्बन्धित संकाय विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद को प्रेषित करेगा।

(3) विश्वविद्यालय की सभी डिग्रीयाँ एवं अकादमिक सम्मान, अध्यापन विषय एवं मूल्यांकन पद्धति अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित होंगी।

अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें; (धारा 30 (घ))

5 अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक, पुरस्कार की शर्तें व पात्रता विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत एवं निर्धारित अध्यादेश के अनुरुप प्रदान की जायेगी।

परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाली निकायों,परीक्षकों, अंतरीक्षकों,सारणीकारों तथा अनुसीमकों (मॉडरेटर) की नियुक्ति की शर्तें व रीति तथा उनके कर्तव्य; (धारा 30 (ङ))
30(e)

6 (1) परीक्षा का संचालनः

(क) विश्वविद्यालय की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नामित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी।

(ख) प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर निम्न सुविधायें होंगी –

(i) कम्प्यूटर/लेपटॉप, इंटरनेट तथा प्रिंटर सुविधा सहित।
(ii) डुपलीकेट फोटो कॉपी की सुविधा।
(iii) अनुपयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं के लिए लोहे के रैक्स।
(iv) लोहे की आलमारी लॉकर सहित प्रश्नपत्रों एवं गोपनीय साम्रगी की सुरक्षित रख रखाव हेतु।
(v) परीक्षा सामग्री हेतु कैमरे की निगरानी सहित स्ट्राँग रूम।
(vi) समय-समय पर आवश्यकतानुसार अन्य कोई संचार माध्यम।

(ग) परीक्षाओं का संचालन सम्बन्धित वैधानिक परिषदों द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों एवं अध्यादेश सम्बन्धित व्यवस्थानुसार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगें।

(घ) विश्वविद्यालय की परीक्षायें सम्बन्धित अध्यादेश के अनुसार होंगी।

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से 30 दिन पूर्व विषयवार परीक्षा कार्यक्रम तैयार एवं प्रकाशित करेगा।

(च) परीक्षाओं के सुचारु संचालन हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा केन्द्र अधीक्षक एवं उप केन्द्र अधीक्षक नियुक्त किये जायेंगे।

(छ) केन्द्र अधीक्षक, केन्द्र पर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को सुचारु रुप से संचालित करने हेतु उत्तरदायी होगा। परीक्षाओं में हुये समस्त खर्चों को नियमानुसार विश्वविद्यालय वहन करेगा।

(ज) परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा की सीटिंग व्यवस्था और कक्ष निरीक्षकों की डयूटी की तैयारी व कार्यान्वयन का दायित्व केन्द्र अधीक्षक का होगा।

(झ) केन्द्र अधीक्षक को अन्तिम परीक्षा से एक माह की समयावधि के दौरान निर्धारित प्रारूप मे सभी परीक्षा व्ययों का विवरण देना होगा।

(ञ) केन्द्र अधीक्षक सुनिश्चित करेगा कि परीक्षार्थियों, कक्ष-निरीक्षकों, विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में प्रवेश न कर सके।

(ट) सभी परीक्षार्थियों को समय-समय पर दिए गये अनुदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

(ठ) परीक्षा प्रकोष्ठ प्रत्येक केन्द्र पर समय पर पर्याप्त मात्रा में प्रश्न-पत्र (मुहरबन्द पैकेट में) एवं उत्तर-पुस्तिकाओं की आपूर्ति करेगा।

(ड) केन्द्र अधीक्षक परीक्षा प्रकोष्ठ को निर्धारित समय के अन्दर सभी अप्रयुक्त प्रश्न-पत्र एवं उत्तर-पुस्तिकाएँ जमा करेगा।

(ढ) प्रायोगिक परीक्षा को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु संघटक कॉलेज के प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष सभी आवश्यक प्रबन्ध करेंगे।

(ण) परीक्षा प्रारम्भ होने से 15 मिनट पूर्व सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में उपस्थित होना होगा। परीक्षा प्रारम्भ होने के 30 मिनट बाद प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षा के कुल निर्धारित समय के अर्ध समय से पहले कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ सकेगा।

(त) उड़न दस्ता (Flying Squad):

(i) मानको के अनुसार परीक्षा संचालित कराने हेतु कम से कम 3 सदस्यीय उड़न दस्ता का गठन किया जाएगा, जिसमें 1 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है।

(ii) दस्ता बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षा हॉल में प्रवेश करने हेतु अधिकृत होगा तथा केन्द्र अधीक्षक के कार्यालय में परीक्षा प्रपत्रों, दस्तावेजों व अन्य सामाग्री का निरीक्षण कर सकता है व परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी की पहचान की सत्यता की जाँच कर सकता है। उड़न दस्ता अनाचार, अनुचित साधन का पता लगाने हेतु शारीरिक जाँच-पड़ताल करने हेतु प्राधिकृत होगा। महिला परीक्षार्थी की जाँच केवल महिला सदस्य द्वारा ही की जा सकेगी।

(iii) केन्द्र अधीक्षक उड़न दस्ते को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

(थ) केन्द्र अधीक्षक प्रतिदिन परीक्षा समाप्त होने के तुरन्त बाद उत्तर-पुस्तिकाओं को विश्वविद्यालय प्रकोष्ठ को भेजेगा।

(द) परीक्षा प्रकोष्ठ, परीक्षा की समाप्ति पर अथवा उससे पहले केन्द्रिय मूल्यांकन का कार्य सुनिश्चित करेगा।

(ध) परीक्षाफल को निर्धारित प्रारूप में सारणीकार/मूल्यांकन कर्ता द्वारा सारणीबद्ध व तैयार किया जाएगा।

(न) सारणीकार द्वारा सारणीबद्ध परीक्षाफल का मिलान व सत्यापन एवं अनुमोदन परीक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। अंकतालिका की अनुमोदित प्रति एवं सॉफ्ट कॉपी परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु परीक्षा प्रकोष्ठ को भेजी जायेगी।

(प) सामान्य परिस्थिति में अन्तिम प्रश्न-पत्र होने के 30 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषित कर दिया जाएगा तथा अंकतालिकाओं के साथ सम्बद्ध कॉलेजों को प्रेषित कर दिया जायेगा।

(2) परीक्षा समितियों, कक्ष निरीक्षकों एवं अनुसीमकों (माडरेटर) की नियुक्ति के तरीके, सेवा शर्तें एवं कर्तव्यः-

(क) पेपर सेटर, मूल्याकंन-कर्ता एवं परीक्षक की योग्यता एवं अनुभव सम्बन्धित वैधानिक परिषद अथवा अध्यादेश की दिशा निर्देशानुसार होंगे।

(ख) पेपर सेटर, अनुसीमकों (माडरेटर), आन्तरिक एवं बाहय परीक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालयों के पैनल से होगी। पेपर सेटर व निरीक्षक की अनुपलब्धता की दशा में पैनल में सूचीबद्ध अन्य कोई व्यक्ति ही नियुक्त हो सकेगा।

(ग) विश्वविद्यालय परीक्षा प्रकोष्ठ, प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए, पेपर सेटर, आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षकों का पैनल बनायेगा।

(घ) पेपर सेटर, अनुसीमकों (माडरेटर) एवं परीक्षक अथवा परीक्षा से सम्बन्धित अन्य कार्य हेतु नियुक्त विश्वविद्यिालय का कोई भी कर्मचारी अधिकारिक दावा नहीं कर सकेगा।

(ङ) साधारण परिस्थितियों में किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति पेपर सेटर, अनुसीमकों (माडरेटर), परीक्षक, निरीक्षक, टेबुलेटर तथा परीक्षा से सम्बन्धित अन्य कार्य के रूप में अनिवार्य होंगी। इस कार्य हेतु अनुपलब्धता की दशा में अग्रिम रूप से परीक्षा प्रकोष्ठ को सूचित करना आवश्यक होगा, ताकि समय से वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।

(च) पेपर सेटर, अनुसीमकों (माडरेटर), परीक्षक, विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में प्रश्न-पत्रों की संरचना, मॉडल उत्तर, अंकन की योजना आदि के विषय में दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे।

(छ) परीक्षा प्रकोष्ठ परीक्षा से सम्बन्धित उपयुक्त दिशा-निर्देश, पेपर सेटर, अनुसीमकों (माडरेटर) एवं परीक्षकों को सूचित करेगा।

(ज) प्रश्न पत्र अंग्रेजी में सेट होंगे।

(झ) पेपर सेटर निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र एवं निर्धारित प्रतियों को लिफाफे में सील कर पुनः दूसरे लिफाफे में सील करने के उपरान्त परीक्षा प्रकोष्ठ को प्रेषित करेगा। पेपर सेटर को प्रश्न पत्र बनाने के दौरान प्रयोग में लाये गये नोट्स एवं हस्तलिपियों को नष्ट करने का प्रमाण पत्र देना होगा। सेट किये गये प्रश्न पत्रों का कॉपीराइट विश्वविद्यालय में निहित होगा।

(ञ) पेपर सेटर द्वारा निर्धारित समय पर पेपर सेट न करने की दशा में वह स्वतः ही पेपर सेटर कार्य से वंचित हो जायेगा।

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षक पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे।

(ठ) परीक्षकों को परीक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति, दिये गये अंकों एवं विश्वविद्यालय परीक्षाओं से सम्बन्धित अन्य कार्यों को गोपनीय रखना होगा।

(ड) सभी परीक्षकों एवं पेपर सेटरों को इस आशय का प्रमाणपत्र देना होगा कि उसका कोई भी निजी सम्बन्धी जैसे पति/पत्नी/रक्त सम्बन्धी/पति-पत्नी के सम्बन्धी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं।

(ढ) परीक्षा प्रकोष्ठ पेपर सेटर, अनुसीमकों (माडरेटर), परीक्षकों एवं अन्य व्यक्ति जोकि परीक्षा कार्य से सम्बन्धित हो, के दुराचार का रिकॉर्ड रखेगा।

(ण) सभी शिकायतों, अनुचित साधनों की घटनाओं को सम्बन्धित अध्यादेश के अनुसार निपटाया जायेगा।

विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क;
(धारा 30 (च))

7 (1) प्रत्येक पंजीकृत छात्र को विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्धारित शुल्क अदा करना होगा।

(2) शिक्षण शुल्क निर्धारित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क समिति का गठन किया जायेगा।

(3) किसी भी पाठ्यक्रम में शुल्क समिति द्वारा निर्धारित अधिकतम शिक्षण शुल्क ही देय होगा जो कि आगामी 3 शैक्षिक सत्रों तक मान्य होगा।

(4) शुल्क समिति की सिफारिशों पर ही विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल देय शिक्षण शुल्क निर्धारित करेगा।

(5) सभी पंजीकृत छात्रों को विश्वविद्यालय के सम्बद्ध कॉलेज/विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक या उसके पूर्व वार्षिक/अर्धवार्षिक शिक्षण शुल्क अदा करना होगा।

(6) विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्धारित नामांकन/परीक्षा/हॉस्टल/उपाधि/अन्य अकादमिक सम्मान आदि शुल्क छात्रों द्वारा अतिरिक्त रूप से देय होगा।

(7) शुल्क वापसी का कोई भी मामला विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल को भेजा जायेगा जिसका निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क; (धारा 30 (छ))

8 विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल परीक्षा मण्डल की संस्तुति एवं वित्त समिति से विचार विमर्श करने के उपरान्त विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं, उपाधियों एवं अकादमिक सम्मान हेतु लिये जाने वाला शुल्क तय करेगा।

विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें; (धारा 30 (ज))

9 (1) विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध कॉलेज पंजीकृत छात्रों के लिये हॉस्टल/आवासीय परिसर की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

(2) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक कॉलेज/संस्थान हॉस्टल/आवासीय परिसर में दी जाने वाली सुविधाओं की देख-रेख व रख-रखाव के निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।

(3) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक कॉलेज/संस्थान हॉस्टल/आवासीय परिसर में छात्रों को अनुशासित ढंग से रहने हेतु देख भाल की व्यवस्था करेंगे।

(4) आवासीय परिसर में रहने वाले छात्रों को छात्रावास के नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(5) सम्बद्ध कॉलेज के प्रत्येक प्राचार्य निम्न से सम्बन्धित अभिलेख रखेंगे:

(i) हॉस्टल एवॅ वार्डनों की संख्या।

(ii) हॉस्टल में अनुमोदित व्यवस्था एवं हॉस्टल-वार छात्रों की संख्या।

(iii) हॉस्टल से बाहर अपने माता-पिता के साथ रह रहे छात्रों की संख्या।

(iv) हॉस्टल से बाहर अपने अभिभावकों के साथ रह रहे छात्रों की संख्या।

(v) हॉस्टल से बाहर स्वतंत्र रूप से रह रहे छात्रों की संख्या।

विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर सभी सूचनायें महाविद्यालय/संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) सभी आवासीय छात्र हॉस्टल मेस में ही भोजन करेंगे।

(7) प्रत्येक सम्बद्ध कॉलेज हॉस्टल में रहने वाले प्रत्येक छात्र का सामयिक स्वास्थ्य परीक्षण कर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों में किसी भी प्रकार का संक्रमण रोग तो नहीं है। इस प्रकार के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था या तो विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पताल या विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अन्य अस्पताल में की जा सकती है।